

ORDER SHEET

46of 2017
B.A

THE COURT

Date of order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
25/01/2017	<p>आरोपी/आवेदकगण अशोक माहौर, रामप्रताप सिंह, रामस्वरूप, शंकर यादव, विनोद कुशवाह एवं मनीराम द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता ।</p> <p>राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल ए.जी.पी. ।</p> <p>पुलिस थाना मौ से अप.क्र.-08/2017 की केस डायरी प्राप्त ।</p> <p>प्रकरण आरोपी/आवेदक अशोक माहौर, रामप्रताप सिंह, रामस्वरूप, शंकर यादव, विनोद कुशवाह एवं मनीराम के नियमित जमानत आवेदनपत्र पर तर्क हेतु नियत है ।</p> <p>अतः धारा-439 द.प्र.सं. के नियमित आवेदनपत्र पर उभयपक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने गये ।</p> <p>मूल अभिलेख का अवलोकन किया ।</p> <p>आरोपी/आवेदक अशोक माहौर, रामप्रताप सिंह, रामस्वरूप, शंकर यादव, विनोद कुशवाह एवं मनीराम के प्रथम नियमित आवेदनपत्र होने तथा अन्य किसी न्यायालय में कोई आवेदनपत्र पेश ना करने और विचाराधीन व निरस्त ना होने बाबत अनुज कुमार पाठक का शपथपत्र पेश किया गया है, जिसपर कोई आपत्ति नहीं आयी है । इसलिये आरोपी/आवेदक के प्रथम नियमित आवेदनपत्र मानते हुए उसका निराकरण किया जा रहा है ।</p> <p>आरोपी/आवेदक का कहना है कि आवेदकगण तोमर बिल्डर कंस्ट्रक्शन कंपनी में चल रहे ड्राइवरों के चालक हैं तथा सड़क निर्माण आदि का कार्य उक्त कंपनी करती है, उक्त डंपरों में मटेरियल आदि को लाने, ले जाने का कार्य होता है। पुलिस थाना मौ ने आवेदक के विरुद्ध अप.क्र.-08/2017 पर धारा-188, 431 भा.दं.वि० के तहत कायम कर लिया है, जबकि आवेदकगण का उससे कोई संबंध सरोकार नहीं है, उनके द्वारा कोई अपराध या घटना नहीं की गयी है। आवेदकगण शांतिप्रिय होकर भले व्यक्ति हैं, यदि आवेदकगण को जमानत पर नहीं छोड़ा</p>	

गया तो उसका परिवार भूखा मर जायेगा, वह अनुसंधान में पुलिस का सहयोग करेगा। वह जमानत की शर्तों का पालन करेगा, उसे उचित प्रतिभूति पर छोड़ने का निवेदन किया। समर्थन में रॉयल्टी की रसीदों की छायाप्रतियां पेश की गयी हैं।

जबकि ए.जी.पी. का कथन है कि आरोपी/आवेदक द्वारा बताया गया कारण संतोषप्रद नहीं है। मामला सड़क पर भारी वाहनों को चलाने से संबंधित होकर गंभीर प्रकृति का है, इससे सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है और शासन को क्षति पहुंचती है, आरोपी/आवेदक को नियमित जमानत पर रिहा किया गया तो वह साक्ष्य को प्रभावित करेगा। अतः उसका जमानत आवेदनपत्र निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

केस डायरी का अवलोकन किया गया, जिसके अवलोकन से विदित होता है कि दि०-07/01/2017 को 07/01/2017 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसीलदार गोहद नायब तहसीलदार मौ एवं पुलिस बल द्वारा आकस्मिक रूप से जिगनिया-गुहीसर मार्ग पर भ्रमण के दौरान प्रतिबंधित क्षेत्र में अवैध रूप से तोमर बिल्डर्स कंपनी के डंपर जब्त किए गये जिनमें निम्नानुसार ट्रक नंबर सहित भार इस प्रकार पाये गये MP07/H.B-4420 वजन 31995 किलोग्राम MP07/H.B-4407 वजन 32400 किलोग्राम, MP07/H.B-4442 वजन 32690 किलोग्राम,

MP07/H.B-4419 वजन 32040 किलोग्राम, MP07/H.B-4441 वजन 32430 किलोग्राम एवं

MP07/H.B-4438 वजन 333465 किलोग्राम परिवहन करते हुए पाये गये एवं जब्त किये गये ओवरलोड डंपरों को पुलिस थाना मौ के सुपुर्दगी में दिया गया, उक्त ट्रक/डंपर पर रॉयल्टी की रसीद भी नहीं पायी गयी एवं उक्त जिगनिया-गुहीसर मार्ग जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर है तथा जिसपर 8.50 टन तक वजन के लिए उक्त मार्ग निर्मित किया जा रहा है, जिसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उपखण्ड-गोहद के आदेश क्र०-क्यू/एस.डी.एम. /रीडर/2016/1589 दि०-06/08/2016 से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 का आदेश जारी किया गया, किन्तु प्रतिबंधित मार्ग पर तोमर बिल्डर्स कंपनी के द्वारा ओवरलोड वाहनों का आवागमन किए जाने से मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया है।

उक्त आशय का आवेदनपत्र पुलिस थाना मौ में

फरियादी दिनेशचन्द्र शर्मा एस.डी.ओ. पी.डब्ल्यू.डी. गोहद द्वारा पेश किया गया, जिसपर से थाना मौ के अपराध क्र.-08/2017 अंतर्गत धारा 188, 431 भा0दं0सं0के अंतर्गत प्रथम सूचना आरोपी/आवेदकगण अशोक माहौर, रामप्रताप सिंह, रामस्वरूप, शंकर यादव, विनोद कुशवाह एवं मनीराम की कंपनी के विरुद्ध नामजद लेख करायी गयी है ।

केस डायरी के अवलोकन से अपराध धारा-188, 431 भादवि0 जे.एम.एफ.सी. न्यायालय के क्षेत्राधिकार का होना भी प्रथम दृष्टया प्रकट होता है । आरोपी/आवेदकगण अशोक माहौर, रामप्रताप सिंह, रामस्वरूप, शंकर यादव, विनोद कुशवाह एवं मनीराम दिनांक-23/01/2017 से न्यायिक अभिरक्षा में है । अभियोगपत्र अभी विचारण न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ है। प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है ।

अतः बाद विचार आरोपी/आवेदकगण अशोक माहौर, रामप्रताप सिंह, रामस्वरूप, शंकर यादव, विनोद कुशवाह एवं मनीराम की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा-439 द.प्र.सं. के माध्यम से जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है। फलतः जमानत आवेदनपत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि यदि आरोपी/आवेदकगण अशोक माहौर, रामप्रताप सिंह, रामस्वरूप, शंकर यादव, विनोद कुशवाह एवं मनीराम की ओर से पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की सक्षम जमानत एवं 25 हजार रुपये की राशि का स्वयं का बंधपत्र अधीनस्थ न्यायालय की संतुष्टि योग्य धारा-437 {3} जा.फौ. में उपबंधित शर्तों सहित प्रस्तुत किया जावे तो उन्हें जमानत पर छोड़ा जावे। जिसमें यह शर्त भी जोड़ी जावे कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहेगे एवं अनुपस्थिति की दशा में यह जमानत आदेश स्वतः समाप्त होगा एवं प्रत्येक 15 दिवस में थाने में विवेचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर उपस्थिति सुनिश्चित करावेंगे।

संबंधित जे.एम.एफ.सी. न्यायालय में आदेश की प्रति पालनार्थ भेजी जावे ।

आदेश की प्रति के साथ केस डायरी वापिस हो।

इस प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर अभिलेखागार में जमा हो ।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद, भिण्ड, म.प्र.

	सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि (शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)	
--	--	--

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)